कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ
दूरभाषः 0522–2204295, 2205310, फैक्सः 0522–2204163
टोल फ्री नम्बर 1800–121–3203
Website: https://www.upcane.gov.in / E-mail: upcdrs@gmail.com
Facebook: https:/www.facebook.com/upcane
Twitter: https://www.twitter.com/canewebsite
Youtube: https://www.youtube.com/channel/ucewkr8bagsaawmex09fjong

<u>प्रेस नोट</u>

''सम्पत्ति सुरक्षा एवं सदुपयोग नीति'' गन्ना समितियों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण और गन्ना किसानों के विकास के लिये साबित होगी संजीवनी।

- सहकारी गन्ना विकास समितियों की सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सदुपयोग हेतु 'सम्पत्ति सुरक्षा एवं सदुपयोग नीति' जारी।
- निर्गत शासनादेश के क्रम में गन्ना समितियों की सभी सम्पत्तियाँ एक माह के अन्दर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करायें।
- कब्जायुक्त सम्पत्तियों को समयबद्धता के साथ कराना होगा खाली। क्षेत्रीय अधिकारियों की नहीं चलेगी हीला–हवाली।
- गन्ना समितियों की खाली पड़ी सम्पत्तिया के सदुपयोग हेतु किए जायेंगें हर सम्भव प्रयास।
- अचल सम्पत्तियों के सदुपयोग न होने से समितियों को नहीं मिल रहा था वांछित प्रतिफल।
- गन्ना समितियों की कृषियोग्य भूमि पर उत्पादित उन्नतशील गन्ना बीज, क्षेत्रीय गन्ना किसानों को होगा वितरित।
- गन्ना समितियों की व्यवसायिक भूमि पर यथावश्यकता बन सकेंगीं दुकानें, भवन व कार्यालय, जिनका किराये पर नियमानुसार होगा आवंटन। अतिरिक्त आय का होगा सृजन।
- इस नीति के अन्तर्गत घाटे वाली गन्ना समितियां भी दुकान, भवन, कार्यालय आदि हेतु जुटा सकेंगी धन, खुलेंगें अतिरिक्त आय के द्वार।
- सम्पत्ति सुरक्षा एवं सदुपयोग नीति के अन्तर्गत गन्ना समितियों की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु समयबद्धता के साथ अधिकारियों को करनी होगी कार्यवाही एवं तय होगी जवाबदेही।

Scanned by CamScanner

- **इस नीति के अन्तर्गत निर्गत निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन न करने पर अधिकारियों व गन्ना समितियों की प्रबन्ध कमेटियों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही।**

लखनऊ 28 अगस्त, 2018

प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक, सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियां, श्री संजय भूसरेड्डी ने प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों की सभी सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सदुपयोग किये जाने हेतु निर्देश दिये हैं, उन्होंनें बताया कि प्रदेश की 169 सहकारी गन्ना विकास समितियाँ गन्ना किसानों से सीधे जुड़ी हुई संस्थायें हैं तथा इन संस्थाओं के पास 965 अचल सम्पत्तियाँ हैं। किन्तु सभी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति एकसमान न होने एवं अवस्थित सम्पत्तियों के सदुपयोग के सम्बन्ध में कोई सम्यक् दिशा–निर्देश/नीति न होने के कारण इनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा था ,जिससे समितियों को कोई प्रतिफल नहीं मिल पा रहा था। चूँकि गन्ना समितियाँ गन्ना किसानों की संस्था हैं इसलिए इन समितियों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियाँ भी गन्ना किसानों की हीं हैं। इन सम्पत्तियों के सुरक्षित एवं सदुपयोगित होने से आखिरकार गन्ना समितियाँ अतिरिक्त आय अर्जित कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगीं तथा क्षेत्रीय गन्ना किसानों को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इसलिए हानि में चल रही गन्ना समितियों को उबारने एवं लाभ में चल रही गन्ना समितियों के बेहतर प्रदर्शन और प्रबन्धन के उद्देश्य से 'सम्पत्ति सुरक्षा एवं सदुपयोग नीति' की आवश्यकता महसूस की गई।

आयुक्त/निबन्धक द्वारा गन्ना विकास विभाग के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समितियों की सभी सम्पत्तियों का नये सिरे से परीक्षण करते हुए उन्हें एक माह में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराये तथा ऐसी सम्पत्तियाँ, जो अतिक्रमणकर्ताओं के अवैध कब्जे में है, को भी राज्य सरकार के एंटी भू–माफिया पोर्टल पर एक माह में पंजीकृत करायें। यह चिन्हांकन भी कराया जाय कि इनमें से कितनी अचल सम्पत्तियाँ व्यवसायिक प्रकृति की हैं तथा कितनी कृषि योग्य/वन योग्य हैं। व्यवसायिक या कृषि योग्य प्रकृति के चिन्हांकन उपरान्त समिति की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत इन अचल सम्पत्तियों के सदुपयोग हेतु अलग–अलग योजना बनाई जाए।

कृषि योग्य भूमि पर सदस्य गन्ना किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से गन्ना समितियों के कृषि फार्मों को गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों की देख–रेख में ब्रीडर गन्ना बीज उत्पादित करने हेतु विकसित किये जाने के कार्यक्रम को भी इस नीति का हिस्सा बनाया गया है साथ ही गन्ना समिति की सभी व्यवसायिक सम्पत्तियों को समिति में उपलब्ध धनराशि से यथावश्यकता एवं लाभप्रदता के अनुसार दुकान/बैंक अथवा क्षेत्रीय उपयुक्तता के अनुसार भवन/गोदाम आदि का निर्माण कर अतिरिक्त आय के साधन के रूप में सृजित कराकर सुरक्षित किया जाये।

जिन गन्ना समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, उनकी व्यवसायिक अचल सम्पत्तियों पर धनाभाव के कारण व्यवसायिक निर्माण न हो पाने से वे सदुपयोगित नहीं हो पाती हैं, फलतः ऐसी अचल सम्पत्ति के खाली रहने के कारण उस पर अवांछित तत्वों द्वारा

Scanned by CamScanner

अतिक्रमण किये जाने की सम्भावना बनी रहती है। आर्थिक रूप से कमजोर गन्ना समितियों की व्यवसायिक सम्पत्तियों का सदुपयोग करने एवं इन सम्पत्तियों से गन्ना समितियों को अतिरिक्त आय जुटाने हेतु एकमुश्त अग्रिम किराया प्राप्त कर इन व्यवसायिक सम्पत्तियों पर दुकान/भवन निर्माण कराकर उसे किराये पर देने का अनूठा विकल्प भी इस नीति में प्रस्तावित किया गया है, जो कमजोर गन्ना समितियों को घाटे से उबारने के लिए संजीवनी साबित होगा।

'सम्पत्ति सुरक्षा एवं सदुपयोग नीति' के पूर्णतः अनुपालन होने से विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश की घाटे में चल रही सभी कमजोर गन्ना समितियाँ पुनः अपने स्वर्णिम अतीत की ओर लौटेंगी तथा गन्ना किसानों को पुनः विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने में सक्षम होंगी, जिससे कृषि निवेश हेतु धन की उपलब्धता सुगम होगी और उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल गन्ना किसानों के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

Scanned by CamScanner